

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(आर.ई. सर्किल)

क्र.जे.पी.डी./ मु. अ.(पीपीएम)/ अधी.अभि.(आर.ई.)/ अधि.अभि.(II)/ सहा. अभि (II)/ प. 146/ प्रे. 26 दि 26-04-16
आदेश

विषय:- कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 31.03.2007 तक) के बिन्दु संख्या 19 एवं 23 में संशोधन करने के संबंध में।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 12 (4) ऊर्जा / 2014 दिनांक 22.4.2016 के क्रम में कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 31.03.2007 तक) के बिन्दु संख्या 19 "विद्युत चोरी करते पाये जाने पर कृषि नीति" को निम्नलिखित के द्वारा पुनर्स्थापित किया जाता है. एवं बिन्दु संख्या 23(i) को हटाया जाता है।

"19. विद्युत चोरी व दुरुपयोग :

(अ) - विद्युत का दुरुपयोग

1. कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा प्रत्येक कृषि कनेक्शन का चार माह के अंतराल में आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जावेगा व निरीक्षण प्रतिवेदन दोनों ही प्रकरणों में बनाया जायेगा यथा प्रकरण के सही पाये जाने पर/कोई कमी पाये जाने पर।
2. सतर्कता अथवा अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित स्थिति में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 126 के अन्तर्गत विद्युत का अनाधिकृत उपयोग माना जायेगा।
 - 2.1 उपभोक्ता (फ्लेट रेट या मीटर प्रणाली) का उसी कुएँ/बोरिंग पर विद्युत मोटर का भार बढ़ा हुआ पाये जाने पर।
 - 2.2 उपभोक्ता (फ्लेट रेट या मीटर प्रणाली) का उसी खेत में दूसरे कुएँ/बोरिंग पर निगम की स्वीकृति के बिना अन्य विद्युत मोटर का उपयोग पाये जाने पर
 - 2.3 उपभोक्ता (फ्लेट रेट या मीटर प्रणाली) द्वारा अनुच्छेद 22(ii) में परिभाषित खेत के अलावा अन्य खेत में भी किसी अन्य बोरिंग का उपयोग करता हुआ पाये जाने पर
 - 2.4 उपभोक्ता (फ्लेट रेट या मीटर प्रणाली) द्वारा कृषि श्रेणी के अन्तर्गत आपूरित विद्युत का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाता है जिसके लिए उच्च निर्धारित दर प्रवृत्त हो।
 - 2.5 उपभोक्ता (फ्लेट रेट या मीटर प्रणाली) द्वारा जब तीन फेस पर आपूर्ति उपलब्ध नहीं है तब तीन फेस के उपकरणों को चलाने हेतु फेस को विखण्डित करने के लिए उपकरणों का उपयोग व सिंगल फेस आपूर्ति के समय सिंगल फेस मोटर द्वारा कृषि कार्य में उपयोग करना।
 - 2.6 अनुज्ञापत्रधारी द्वारा विच्छेदित सेवा को उपभोक्ता द्वारा पुनः चालू करना।
3. उपरोक्त स्थिति में पाये गये अनाधिकृत उपयोग की राजस्व राशि का निर्धारण निम्नलिखित अनुसार किया जायेगा एवं उसे नोटिस जारी किया जायेगा उपभोक्ता द्वारा आपत्ति दर्ज करवाने पर विद्युत अधिनियम की धारा 126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
 - 3.1 अनुच्छेद 2.1 व 2.2 के मीटर्ड प्रणाली के उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-
बढ़ा हुआ भार X 2 X स्थाई प्रभार (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम चार माह के लिये
 - 3.2 अनुच्छेद 2.1 व 2.2 के फ्लेट रेट के उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-
बढ़ा हुआ भार x 2 x कृषि विद्युत दर (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम चार माह के लिए + बढ़ा हुआ भार x 2 x स्थाई प्रभार (अनुदान रहित)) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम चार माह के लिये

वे

h
A

- 3.3.1 अनुच्छेद 2.3 के मीटर्ड उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-
अन्य खेत में उपयोग किये गये भार की अनुपातिक युनिट्स X 2 X कृषि विद्युत दर (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 4 माह के लिए + अन्य खेत में उपयोग किया गया भार x 2 x स्थाई प्रभार (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम चार माह के लिये
- 3.3.2 अनुच्छेद 2.3 के फ्लेट रेट उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-
अन्य खेत में उपयोग किया गया भार X 2 X कृषि विद्युत दर (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 4 माह के लिए + अन्य खेत में उपयोग किया गया भार x 2 x स्थाई प्रभार (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम चार माह के लिये
- 3.4.1 अनुच्छेद 2.4 के मीटर्ड उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-
अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किये गये भार की अनुपातिक युनिट्स X 2 X विद्युत दर (अन्य उच्च श्रेणी) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 4 माह के लिए + अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किया गया भार X 2 X स्थाई प्रभार (अन्य उच्च श्रेणी) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 4 माह के लिए।
- 3.4.2 अनुच्छेद 2.4 के फ्लेट रेट उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-
अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किया गया भार X 2 X कृषि विद्युत दर (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 4 माह के लिए + अन्य उच्च श्रेणी में उपयोग किया गया भार X 2 X स्थाई प्रभार (अन्य उच्च श्रेणी) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 4 माह के लिए।
- 3.5.1 अनुच्छेद 2.5 के मीटर्ड उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-
उपयोग में लिये गये भार की यूनिट्स X 2 X कृषि विद्युत दर (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 4 माह के लिए + सम्बद्ध भार X 2 X स्थाई प्रभार (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 4 माह के लिए।
- 3.5.2 अनुच्छेद 2.5 के फ्लेट रेट उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-
उपयोग में लिया गया भार X 2 X कृषि विद्युत दर (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 4 माह के लिए + सम्बद्ध भार X 2 X स्थाई प्रभार (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 4 माह के लिए।
- 3.6 अनुच्छेद 2.6 के कृषि उपभोक्ता से राजस्व निर्धारण राशि निम्नानुसार ली जावेगी:-
उपयोग में लिया गया भार X 2 X कृषि फ्लेट रेट विद्युत दर (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 4 माह के लिए + उपयोग में लिया गया भार X 2 X फ्लेट रेट स्थाई प्रभार (अनुदान रहित) पूर्व निरीक्षण की तिथि से अथवा अधिकतम 4 माह के लिए।
- नोट :- उपरोक्त राजस्व निर्धारण राशि में से उपभोक्ता द्वारा पूर्व में राजस्व निर्धारण अवधि के दौरान जमा कराई गई राशि को कम किया जायेगा।
4. अनुच्छेद 2 में सतर्कता अथवा अन्य जांच अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान विद्युत मोटर का भार, उपभोक्ता के स्वीकृत भार से 20% तक अधिक पाया जाता है तो बड़े हुए विद्युत भार के लिये कोई जुर्माना राशि व अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं की जायेगी। उक्त 20 प्रतिशत बड़े हुये भार की अधिकतम सीमा 5 एचपी तक होगी। बड़े हुए भार को नियमित कर उसके अनुसार बिलिंग की जायेगी।

19(ब) विद्युत चोरी

- यदि कृषि आवेदक कनेक्शन देने से पूर्व या देते समय कृषि कार्य हेतु विद्युत लाईन से सीधे ही विद्युत चोरी करते हुये पाया जाए तो उससे प्रशमन राशि तथा प्रोविजनल दीवानी दायित्व (Provisional Civil liability) की राशि वसूल कर कनेक्शन दिया जायेगा और उसकी वरीयता पूर्ववत् रहेगी। न्यायालय में वाद लम्बित होने पर मात्र प्रोविजनल दिवानी दायित्व की राशि जमा कराने पर आवेदित योजना में वरीयता क्रम के अनुसार कनेक्शन दिया जावेगा। विद्युत चोरी एक बार से अधिक पाये जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कार्यवाही की जावेगी।





2. विद्युत चोरी करते पाये जाने वाले उपभोक्ता या गैर उपभोक्ता से प्रशमन राशि व प्रोविजनल दीवानी दायित्व की राशि निम्नानुसार ली जावेगी :-

- प्रशमन राशि 10 एचपी तक - रू0 1000/- प्रति एचपी,
10 एचपी से ज्यादा भार होने पर - रू0 10000/- प्लस
10 एचपी से अधिक वाले भार पर
रू0 500 प्रति एचपी

(प्रशमन राशि प्रथम अपराध पर ही ली जावेगी)

- प्रोविजनल दीवानी दायित्व राशि की गणना-
प्रोविजनल दीवानी दायित्व $= (2 \times A \times B \times C \times D + A \times B \times C \times E) -$ (पूर्व में विद्युत चोरी की अवधि में जमा राशि अनुदान सहित मय विद्युत कर)

जहां पर :

A= विद्युत चोरी में प्रयोग हो रहा संबंध (कनेक्टेड) विद्युत भार (किलोवाट)

B= 166 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह (ब्लॉक सप्लाई फीडर पर विद्युत चोरी करता पाये जाने पर) अथवा 332 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह (ब्लॉक से अधिक सप्लाई फीडर पर विद्युत चोरी करता पाये जाने पर)

C= अवधि माह में (प्राधिकृत अधिकारी, उपलब्ध/जब्त किये गये तथा निगम के संबंधित नियंत्रण अधिकारी के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर चोरी की अवधि का विनिर्धारण करेगा परंतु ऐसी अवधि निरीक्षण की तिथि से विगत 4 (चार) माह से अधिक नहीं होगी।

D= उक्त अवधि में प्रचलित विद्युत दर प्रति यूनिट (अनुदान रहित)

E= प्रचलित विद्युत कर दर (Electricity Duty)

3. विद्युत चोरी के प्रथम अपराध प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज होने से पूर्व आंकलित प्रशमन राशि व दीवानी दायित्व राशि के विरुद्ध उपभोक्ता या प्रभावित व्यक्ति अध्यक्ष, कमेटी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसको स्वीकार किये जाने पर उपभोक्ता या प्रभावित व्यक्ति द्वारा आवेदन शुल्क रू0 500/- वृत्त लेखाधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा जो कि वापस देय नहीं होगा।

उपरोक्त प्रकरणों का निस्तारण, उपभोक्ता या प्रभावित व्यक्ति के प्रथम अपराध पर, उचित सुनवाई का अवसर देते हुए निम्न समिति द्वारा ही किया जावेगा :

1. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता(वृत्त) - अध्यक्ष
2. वृत्त अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता) - सदस्य सचिव
3. संबंधित उप पुलिस अधीक्षक(सतर्कता) - सदस्य
4. संबंधित वृत्त लेखाधिकारी - सदस्य

यदि वृत्त अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता) खुद निरीक्षण अधिकारी है तो संबंधित वृत्त के प्रावैधिक सहायक।”

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीएम)
जयपुर डिस्कॉम जयपुर।